न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं.100/2017

कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी कंवरपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी कंवरपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुलतानराम पुत्र मंगतराम जाति मेघवाल
3. पवन पुत्र मोहनलाल जाति बिश्नोई
4. मोहनलाल पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई
5. रामेश्वरी पुत्री कानाराम जाति बिश्नोई
6. राजेन्द्र पुत्र चन्दुराम जाति बिश्नोई

(2 से 6) निवासीगण कंवरपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

7. सुनील कुमार पुत्र मोहनलाल —मृतक वारिसान

7/1 सुलोचना पत्नी सुनील जाति बिश्नोई निवासी बिलोचेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

7/2 करण पुत्र सुनील कुमार जाति बिश्नोई निवासी बिलोचेवाला नाबालिग जरिये माता खुद कुदरती वली सुलोचना पत्नी सुनील कुमार जाति बिश्नोई निवासी बिलोचेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

7/3 रोशनी देवी पत्नी मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी कंवरपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

8. इमरती देवी पत्नी मंगतराम जाति मेघवाल निवासी कंवरपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
9. राजस्थान सरकार —रेस्पोंडेंटान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 10.01.2017

19/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री हेतराम बिश्नोई अभिभाक अपीलार्थी

श्री प्रीतमसिंह गिल अभिभाषक रेस्पो.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो.सं.1 ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251 ए के तहत पेश कर चक 6 एफ एफ बी के के मु.न. 44 (243/243) के कि.न. 1 से 5 उतरी दिशा, मु.न. 45 (244/243) के कि.न. 1, 2, 3, 4, 5 उतरी पासा, मु.न. 46 के कि.न. 1 से 5 उतरी पासा व मु.न. 47 के कि.न. 4, 5 उतरी पासा प्रत्येक में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी एल सी की दर से राशि देने को तैयार होने का कथन किया ।

अप्रार्थी मोहनलाल व पवनकुमार ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं अप्रार्थी सुलतान व रामेश्वरी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 10.01.2017 को रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मु.न. 44 की भूमि संयुक्त खाता में है जिसमें अपीलांट का नाम है अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है, अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे ।

19/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं था अप्रार्थी सुलतान व रामेश्वरी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता स्वीकृत करने में कोई एतराज नहीं किया था ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. द्वारा नहीं करने से प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील आदेश दिनांक 10.01.2017 के विरूद्ध दिनांक 17.05.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पो. ने प्रत्यत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी स्वयं या किसी अन्य सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार, भू–अभिलेख से मौका निरीक्षण नहीं करवाया गया है जो कि आज्ञापक प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2017 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं उसकी कियान्वति में बने प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए सभी पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर